रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4088] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2019/अग्रहायण 28, 1941
No. 4088] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2019/AGRAHAYANA 28, 1941

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4571(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशियों विषयक आदेश, 1948 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन आदेश का संक्षिप्त नाम विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशियों विषयक आदेश, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), के पैरा 11ख के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"11ख पर्वतारोहण अभियानों पर निर्बंधन: कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशियों का समूह, उन पर्वत शिखरों को छोड़कर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय समय पर जारी ऐसे विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन ऐसे मार्गों के साथ, जो उक्त आदेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, पर्वतारोहण या ट्रैकिंग अभियान के लिए खुले हुए हैं, केन्द्रीय सरकार की, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (एक रजिस्ट्रीकृत सोसायटी जिसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है) के माध्यम से उस निमित्त किए गए आवेदन पर लिखित पूर्व अनुमति अभिप्राप्त किए बिना और अनुसरण किए जाने वाले मार्ग विनिर्देशन, संगत संपर्क अधिकारी फोटोग्राफ के और ऐसे संचार उपस्करों के उपयोग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकथित किए जाए, के बिना किसी शिखर पर नहीं चढ़ेगा या चढ़ने का प्रयास नहीं करेगा :

परंतु चीन, पाकिस्तान, बंग्लादेश, अफगानिस्तान के राष्ट्रिकों या उक्त देशों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसी चोटियों पर चढ़ने के लिए भी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन इस प्रकार खुली हुई हैं, केन्द्रीय सरकार की पुर्वानुमति अपेक्षित होगी :

परंतु यह और कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ऐसी चोटियों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन इस प्रकार खोली गई हैं, मार्गों को विनिर्दिष्ट करेगा, संपर्क अधिकारी को लगाएगा और ऐसे निर्बंधन अधिरोपित करेगा जो वह इस संबंध में आवश्यक समझे ।"

3. उक्त आदेश के, अंत में आने वाली अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 25022/33/2014-एफ.1]

अनिल मलिक, अपर सचिव (विदेशी)

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में संख्यांक 9/9/46-पालीटिकल (ई डब्ल्यू), तारीख 14 फरवरी, 1948 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसका संख्यांक सा.का.नि. 703(अ), तारीख 18 जुलाई, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 19th December, 2019

S.O. 4571(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Foreigners Order, 1948, namely:—

1. **Short title and commencement.—**

(1) This Order may be called the Foreigners (Amendment) Order, 2019.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Foreigners Order, 1948 (hereinafter referred to as the said order), for paragraph 11B, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"**11B Restrictions on mountaineering expeditions :** No foreigner or group of foreigners shall climb or attempt to climb any mountain peak in India, except those peaks which are opened for mountaineering or trekking expeditions under specific orders issued by the Central Government from time to time with routes as may be specified in the said orders, without obtaining the prior permission in writing of the Central Government on an application made in that behalf through the Indian Mountaineering Foundation (a registered society having its registered office in the National Capital Territory of Delhi) and without specification of route to be followed, accompaniment by liaison officer, use of photographic and wireless communication equipment, as may be laid down in this behalf by the Central Government:

Provided that the prior permission of the Central Government shall be required by nationals of China, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan or persons having their origin in the said countries even for climbing peaks which are so opened under specific orders issued by the Central Government:

Provided further that the Indian Mountaineering Foundation shall specify routes, attach liaison officer and impose such restrictions as it may deem necessary in respect of peaks which are so opened under specific orders issued by the Central Government".

3. In the said Order, the Schedule occurring at the end shall be omitted.

[F. No. 25022/33/2014-F.I]

ANIL MALIK, Addl. Secy. (Foreigners)

Note : The principal Order was published in the Gazette of India *vide* No. 9/9/46-Political (EW), dated the 14th February, 1948 and last amended *vide* number G.S.R. 703(E), dated the 18th July, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA